न्यायालयः श्री राहुल कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
व्यवहार न्यायालय, लातेहार

Misc. Cri. Application No.- 1458/2022
CNR No. JHLT 03002475-2022

जी0 आर0 488/2022
नेतरहाट थाना काण्ड संख्या– 07/2022
राज्य
बनाम
बिरेन्द्र मुण्डा उर्फ भगवा

17-10-2022 अभियुक्त/ आवेदक बिरेन्द्र मुण्डा उर्फ भगवा उम्र लगभग 47 वर्ष पिता शाहजहां मुण्डा निवासी ग्राम हरखा टोला थाना नेतरहाट जिला– लातेहार की ओर से **नेतरहाटा थाना प्राथमिकी संख्या 07/2022, सदृश्य जी0 आर0 488/2022 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 342, 504, 506, 323, 427, 34** के संदर्भ में मिस. कि. एपलिकेशन संख्या **1458/2022** के रूप में दाखिल आत्म समर्पण सह जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया गया है । जमानत आवेदन की प्रति सहायक लोक अभियोजक को प्राप्त करायी गयी है । अभियुक्त/ आवेदक न्यायालय में आत्म समर्पण किया, उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया ।

अभियुक्त/ आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तरफ से सम्प्रेषित किया गया कि अभियुक्त/ आवेदक निर्दोष है तथा उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है । अभियुक्त/ आवेदक के तरफ से किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है । अभियुक्त/ आवेदक स्वेच्छा से न्यायालय में आत्म समर्पण किया है । अभियुक्त/ आवेदक के विरूद्ध आरोपित अपराध जमानतीय प्रकृति का है। अभियुक्त/ आवेदक न्यायालय के आदेशानुसार बंध पत्र देने को तैयार है । अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्त/ आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाय ।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध

नहीं किया जाता है ।

उभय पक्षों को सुना एंव अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में सिकन्दर कुजूर के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी भारतीय दण्ड संहिता (भा0द0वि0) की धारा 452, 341, 342, 504, 506, 324, 323, 427, 34 के अपराध के लिये नेतरहाट थाना काण्ड संख्या 7/2022 दिनांक 09.05.2022 के अन्तर्गत अज्ञात 6–7 अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज है । अभिलेख अवलोकन से पाया जाता है कि उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 341, 342, 504, 506, 323, 427, 34 के तहत समर्पित किया गया है, जिसके आधार पर दिनांक 01.09.2022 को संज्ञान लिया गया है, जो कि जमानतीय प्रकृति का है । अभियुक्त/ आवेदक स्वेच्छा से न्यायालय में आत्म समर्पण किये हैं ।

लगातार...
17.10.2022

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में **अभियुक्त/ आवेदक बिरेन्द्र मुण्डा उर्फ भगवा** को आदेश दिया जाता है कि 4,000/– रूपये का बंध पत्र समान राशि के एक प्रतिभू के साथ दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अभियुक्त/ आवेदक के तरफ से दाखिल मिस क्रिमिनल एप्लीकेशन संख्या 1458/2022 निष्पादित किया जाता है । लेखापित

प्रभारी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
लातेहार।

उपरोक्त आदेशानुसार **अभियुक्त/ आवेदक बिरेन्द्र मुण्डा उर्फ भगवा** के तरफ से बंध पत्र दाखिल किया गया, जिसे जांचोपरान्त सही पाकर स्वीकृत किया जाता है । अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया गया ।

पश्चात....
17.10.2022

लेखापित

प्रभारी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
लातेहार।